


## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या .970 / 2015 .....जिला.....हनुमानगढ़.....

उनवान - श्री मूलाराम पुत्र देवीचंद, सांगरिया, हनुमानगढ़ बनाम राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक सांगरिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री नत्थूराम, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री हरदत्त सहारण एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी वकील ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	